प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 327/2001

अपीलार्थीगण: कामता प्रसाद लोधी और दो अन्य

बनाम –

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

और

दांडिक अपील संख्या 361/2001

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी : पवन कुमार उर्फ नागराज साहू

बनाम –

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

दांडिक अपील संख्या 362/2001

अपीलार्थीगण : दिलीप उर्फ़ बाथू उर्फ़ अशोक और अन्य

बनाम –

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारानार्थ

हस्ताक्षर/–

एल.सी.भादू

न्यायाधीश

29–3–2007

माननीय श्री न्यायमूर्ति धीरेंद्र मिश्रा

हस्ताक्षर/–

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

30–3–2007

निर्णय के उद्घोषित करने के लिए दिनांक 2 अप्रैल, 2007 को सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षर/–

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

30–3–2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 327 सन् 2001

अपीलार्थी/
(अभियुक्त)

1. कामता प्रसाद लोधी, पिता पीदुराम लोधी, आयु 23 वर्ष

2. अश्विनी कुमार, पिता खामहन लाल लोधी, आयु 20 वर्ष

3. गणेश , पिता बहुरू राम लोधी, आयु 24 वर्ष

सभी निवासी ग्राम: सोनेसरार, थाना धमधा, जिला दुर्ग

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग

दांडिक अपील संख्या 361 सन् 2001

अपीलकर्ता (अभियुक्त संख्या 4) पवन कुमार उर्फ नागराज साहू, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री गेंदलाल साहू, चालक, निवासी ग्राम कोटरपारा जामूल, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

दांडिक अपील संख्या 362 सन् 2001

अपीलकर्तागण: 1. दिलीप बाथू उर्फ अशोक, पिता कृपाराम निर्मलकर, आयु लगभग 21 वर्ष

2. राजू उर्फ राजेश उर्फ राजकुमार, पिता मन सिंह साहू, आयु लगभग 28 वर्ष ।

दोनों निवासी बजरंग पारा, पुलिस थाना जामूल, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना धाम्धा के माध्यम से, जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपस्थित:

श्री उत्तम पांडे, अधिवक्ता : दांडिक अपील संख्या 327/2001 और 362/2001 में अपीलकर्ता के लिए

श्री पी .के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता,के सहित श्री शशि भूषण, अधिवक्ता दांडिक अपील संख्या 361/2001 में अपीलकर्ता के लिए

श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक: राज्य/प्रत्यर्थी के लिए

युगल पीठ :–

माननीय श्री एल .सी. भादू न्यायाधीश एवं

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

निर्णय

दिनांक 2 अप्रैल, 2007 उद्घोषित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय एल .सी . भादू, न्यायाधीश द्वारा दिया गया –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दांडिक अपील संख्या 327/2001 जो कामता प्रसाद लोधी, अश्विनी कुमार और गणेश द्वारा दायर की गई है; दांडिक अपील संख्या 361/2001 जो पवन कुमार उर्फ नागराज साहू द्वारा दायर की गई है; और दांडिक अपील संख्या 362/2001 जो दिलीप उर्फ़ बाथू, उर्फ़ अशोक और राजू उर्फ़ राजेश राज कुमार द्वारा दायर की गई है, ये सभी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 25/2000 में पारित एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई है हैं, इसलिए , एक ही निर्णय द्वारा इनका निस्तारण किया जा रहा है ।

2. अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषसिद्धि के निर्णय और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 25/2000 में दिनांक 27–3–2001 को पारित दोषसिद्धी के निर्णय एवं दंडादेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए ये अपीलें दायर की हैं, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध करते हुए दंड आरोपित किया है –

अभियुक्त का नाम	जिस धारा के तहत दोषी ठहराया गया	सुनाई गई सजा
पवन कुमार उर्फ नागराज साहू —	भारतीय दंड संहिता की धारा 120 एवं	आजीवन कारावास और 500/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास
	भारतीय दंड संहिता की धारा 302	आजीवन कारावास और 1000/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास
अश्विनी कुमार, गणेश , कामता प्रसाद, लोधी, दिलीप उर्फबाथू,उर्फ अशोक और राजू उर्फ राजेश उर्फराज कुमार —	भारतीय दंड संहिता की धारा 120–	प्रतेक कोआजीवन कारावास और 500/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास
	भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह पठित धारा 34	प्रत्येक को आजीवन कारावास और 1,000/– रुपये का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	भारतीय दंड संहिता	जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास

माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आगे निर्देश दिया कि प्रत्येक अभियुक्त पर लगाए गए मूल दंड साथ–साथ चलेंगे और यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को अधिरोपित दंड से समायोजित किया जाएगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि अभियुक्त कामता प्रसाद ने अभयराम की भूमि में एक बोरवेल लगवाया था इसलिए , अभियुक्त कामता प्रसाद और मृतक व्यक्तियों के बीच विवाद शुरू हुआ कामता प्रसाद के सह–अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात अभियुक्त गणेश और अश्विनी कुमार भी मृतकगणों से झगड़ा करते थे अभियुक्त कामता प्रसाद , अभयराम और मुकुटधर को उनकी हत्या करने की धमकी दिया था ।

4.अभियोजन का आगे का मामला यह है कि दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 (रविवार) को अभियुक्त पवन कुमार उर्फ नागराज साहू, जो महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) के टैंकर नंबर एम् पी–24/ए–5354 के चालक के रूप में काम कर रहा था, दोपहर 12–12:30 बजे कामता लोधी के घर ग्राम सोनेसरार गया अभियुक्त कामता लोधी ने अपने दोस्तों के साथ अपने निवास पर शराब का सेवन किया उसने

खुले तौर पर कहा कि "आज साले लोगों को मारना है बचना नहीं चाहिए" यह खेमूराम ने सुना था टैंकर अश्वनी लोधी चला रहा था मृतक अभयराम और मुकुटधर अपने स्कूटर नंबर एम्. यु ए–637 पर कुछ घरेलू काम के लिए धमधा गए थे कुछ समय बाद, अश्वनी, गणेश और अन्य लोग टैंकर में उनका पीछा कर रहे थे अभियुक्त कामता पवन उर्फ नागराज के साथ बुलेट नंबर एम् पि–23/के–3283 पर धमधा गया , जो अभियुक्त कामता का दोस्त है अभियुक्त ने विजय मिश्रा की शराब की दुकान के सामने बुलेट को रोका उसी दिन, कामता पटेल (अ. सा. –6) अपने चचेरे भाई सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) के साथ अभियुक्त कामता लोधी के घर से अपनी टोचन तार लेने के लिए ग्राम सोनेसरार गए, जिस पर कामता लोधी के पुत्र ने उन्हें बताया कि कामता लोधी धमधा गया है, इसलिए वे धमधा आए और देखा कि टैंकर बस स्टैंड पर खड़ा था, अभियुक्त कामता लोधी, गणेश , अश्वनी, पवन उरफ़ नागराज और उसके सहायक टैंकर में बैठे थे उस समय, कामता पटेल (अ. सा. –6) ने अपनी टोचन तार की मांग की और यह भी कहा कि यदि टोचन नहीं है तो उसे टोचन की कीमत का भुगतान कर दो, जिस पर अभियुक्त कामता लोधी ने कहा कि वह 2–4 दिनों में पैसे भेज देगा कुछ समय बाद, अभियुक्त कामता लोधी ने कामता पटेल (अ. सा. –6) से पूछा कि चलो हम हटरी की ओर चलें, जिस पर कामता पटेल ने इसे स्कूटर लेने के लिए कहा, लेकिन अभियुक्त कामता लोधी सहमत नहीं हुआ इसलिए , कामता पटेल स्कूटर लेकर हटरी की ओर गए, जब वे हटरी में थे, कामता लोधी ने उनसे स्कूटर की गति बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि व्यक्ति पहले ही जा चुका है, जिस पर कामता पटेल ने कहा कि भीड़ है, इसलिए वह स्कूटर मोड़ ले, तब अभियुक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कामता लोधी ने कहा कि व्यक्ति उसे देख रहा है, इसलिए हम हटरी की ओर चलते है तत्पश्चात, कामता लोधी स्कूटर लेकर टैंकर की ओर गए अभियुक्त कामता लोधी के सहयोगी वहीं खड़े थे कुछ समय बाद, मृतक अभयराम और मुकुटधर एक स्कूटर पर बाजार आए, पान की दुकान के पास खड़े हुए और अंडे की दुकान के मालिक के बारे में पूछताछ की जिस पर नरेश कुमार ने बताया कि वह पानी लेने गया है, इसलिए वे अंडे खरीदने के लिए किसी अन्य दुकान पर गए और उसके बाद में वे अपने निवास क े लिए स्कूटर पर निकले उसी समय, टैंकर पेट्रोल पंप की ओर चला गया जब अभयराम और मुकुटधर स्कूटर से निकले, तो टैंकर ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया और अभियुक्त कामता लोधी के साथ गणेश और एक अन्य व्यक्ति ने भी बुलेट पर टैंकर का पीछा किया तत्पश्चात, दुर्ग की ओर से सुजुकी पर एक व्यक्ति आया, जिसने सूचित किया कि स्कूटर पर सवार दो व्यक्तियों कादुर्घटना हो गया है और वे सड़क पर पड़े हैं इससे पहले, अभियुक्त कामता लोधी ने कामता पटेल (अ. सा. –6) से अनुरोध किया था कि उसे ट्रक के नीचे एक व्यक्ति को कुचलने के लिए एक ट्रक की आवश्यकता है, इसलिए उसे एक ट्रक की व्यवस्था कर दो, जिस पर कामता पटेल ने उसके अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कामता पटेल (अ. सा. –6)दुर्घटना की खबर सुनकर अपनी चचेरी बहन सूर्या प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) मौके पर गए और देखा कि स्कूटर क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा था, अभयराम और मुकुटधर सड़क पर पड़े थे, इसलिए उन्होंने अभयराम के निवास पर सूचित किया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5.अभियोजन का आगे का मामला यह है कि दुर्घटना के कुछ दिनों बाद, अभियुक्त पवन नागराज राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8) के पास आया और कहा कि उसे अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होगा क्योंकि उसने अपने दोस्त कामता लोधी के दुश्मनों को एक टैंकर के नीचे कुचलकर उनकी हत्या कर दी है घटना के दिन उसने टैंकर मालिक महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) के समक्ष टेलीफोन पर भी न्यायिकेतर संस्वीकृति दी थी कि उसने टैंकर से दो व्यक्तियों की हत्या कर दी है और जब वह महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) से मिला, तो उसने कहा कि अपने दोस्त के साथ शराब का सेवन करने के बाद उसने टैंकर के नीचे कुचलकर दो व्यक्तियों की हत्या कर दी है उसने राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8) के समक्ष भी न्यायिकेतर संस्वीकृति दी थी कि वह टैंकर को अपने दोस्त के निवास पर ले गया , शराब का सेवन किया और उसके बाद अपने दोस्त कामता के दो दुश्मनों को टैंकर के नीचे कुचल दिया, उन दोनों में से एक जीवित था, इसलिए उसने ट्रक को पीछे किया और जीवित व्यक्ति को कुचल दिया उसने आगे कहा कि उसका दोस्त उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वह एक धनी व्यक्ति है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6 .सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल (अ. सा. –12), जिसनेदुर्घटना देखी थी, ने दिनांक 31–10–1999 को शाम 6 बजे पुलिस थाना धमधा में शिवचरण साहू (अ. सा. –18), प्रधान उपरक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसने भ.द.स की धारा 279 और 337 के तहत अपराध के लिए शिकायत प्र पी–13 दर्ज की तत्पश्चात, रामप्रसाद साहू (अ. सा. –19), सहायक उप निरीक्षक के साथ हैड कांस्टेबल शिवचरण साहूदुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए और प्र .द–14 और पी–15 के तहत घायल अभयराम और

मुकुटधर को धमधा के शासकीय अस्पताल में जांच के लिए आरक्षक राज कुमार के साथ भेजा गया परंतु डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया अभयराम के संबंध में मर्ग सूचना प्र पी–19 और मुकुटधर के संबंध में मर्ग सुचना प्र पी–20 दी गईं शवों को शवगृह में रखा गया अगले दिन सूचना प्र पी–5 और पी–6 देने के बाद, मुकुटधर के शव पर पंचनामा प्र पी–8 और अभयराम के शव पर पंचनामा प्र पी–7 तैयार किया गया तत्पश्चात, मुकुटधर का शव प्र पी–21 कं तहत और अभयराम का शव प्र पी–22 कं तहत शवपरीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल, धमधा भेजा गया , जहाँ मृतक व्यक्तियों के कपड़े जब्त किए गए क्षतिग्रस्त हालत में स्कूटर नंबर एम्.यु.जी–637 बिना साइलेंसर, जूते और चप्पल, पेंट कंटेनर और ब्रश सहित घटनास्थल से प्र पी–4 के तहत जब्त किए गए प्रहलाद पांडे (अ. सा. –17), पटवारी, ने नज़री नक्शा प्र पी–18 तैयार की डॉ. पी.डी. चंद्रवंशी (अ. सा. –15) ने अभयराम और मुकुटधर के शवों का परिक्षण किया उन्होंने मुकुटधर के शवपरिक्षण प्रतिवेदन प्र पी–16 और अभयराम के शवपरिक्षण प्रतिवेदन प्र पी–17 तैयार किया उन्होंने राय व्यक्त की कि दोनों व्यक्तियों की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई, जो सड़कदुर्घटना के परिणामस्वरूप सिर की चोट से हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.अन्वेषण पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पत्र दायर किया गया , जिन्होंने बदले में मामले को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उपार्पित कर दिया, जहाँ से विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को सुनवाई के लिए मामला हस्तांतरण पर प्राप्त हुआ।

8.अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए 22 गवाहों का परिक्षण कराया अभियुक्त व्यक्तियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिस में प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य में उनके विरुद्ध तात्विक सामग्री से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है।

9. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवाताओं को सुनने के बाद, प्रत्येक अभियुक्त को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया।

10. हमने श्री पी .के.सी . तिवारी, अपीलार्थी पवन कुमार उर्फ नागराज साहू के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता; अपीलार्थीगण कामता प्रसाद लोधी, अश्विनी कुमार, गणेश , दिलीप उर्फ अशोक और राजू उर्फ राजेश राज कुमार के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम पांडे; और राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री यूएनएस देव को सुना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस मामले में, अभयराम और मुकुटधर की हत्या के संबंध में कोई प्रत्यक्ष या चश्मदीद सबूत नहीं है पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपराध स्थापित करने का प्रयास किया है: –

(1) कि, अभियुक्त पवन कुमार उर्फ नागराज साहू ने राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8), महेंद्र सिंह गिल (अ. सा. –9) और प्रीतम सिंह (अ. सा. –10) के समक्ष अभयराम और मुकुटधर की हत्या करने के संबंध में अतिरिक्त न्यायिकेतर संस्वीकृति दिया था, जिस में उसने 31 अक्टूबर, 1999 को टैंकर संख्या एमपी–24/ए–5354 के नीचे उन दोनों को कुचल कर हत्या की थी;

(2) कि, अभियुक्त कामता लोधी और मृतक अभयराम और मुकुटधर के बीच दुश्मनी थी, क्योंकि अभियुक्त कामता लोधी ने अभयराम और मुकुटधर की भूमि पर अतिक्रमण करके बोरवेल स्थापित किया था; और

(3) कि, अभियुक्त कामता लोधी ने अपने मित्र सह–अभियुक्त व्यक्तियों पवन कुमार उर्फ नागराज साहू, अश्वनी कुमार, गणेश , दिलीप उर्फ बाथू उर्फ अशोक और राजू उर्फ राजेश कुमार उर्फ राज कुमार के साथ अभयराम और मुकुटधर की हत्या करने के लिए दांडिक षड्यंत्र रचा था।

12) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में (1994) 2 एससीसी 220 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस बिंदु पर स्थापित विधि यह है कि;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए सभी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की भी होनी चाहिए और केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए उन परिस्थितियों को अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकना चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी उचित संदेह के लिए कोई जगह न छोड़े यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि विधिक रूप से स्थापित परिस्थितियां और केवल न्यायालय का आक्रोश दोषसिद्धि का आधार बन

सकता है और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्य की जांच में उतनी ही अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले ले"

13 अब, हम अभयराम और मुकुटधर की हत्या के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की जांच करेंगे, जो उपरोक्त परिस्थितियों पर आधारित हैं।

पहली परिस्थिति

14. जहाँ तक इस परिस्थिति का संबंध है, श्री पीकेसी तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री उत्तम पांडे, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहाँ तक अभियुक्त पवन कुमार नागराज साहू द्वारा राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8), महेंद्र सिंह गिल (अ. सा. –9) और प्रीतम सिंह (अ. सा. –10) के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का संबंध है, इन तीनों गवाहों का साक्ष्य इस बात को लेकर एक–दूसरे से विरोधाभासी है कि अभियुक्त ने उनके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति किस समय की थी इन तीनों गवाहों के साक्ष्य को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि साक्ष्य संदिग्ध है और अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति पर भरोसा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक की पुष्टि नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसके विपरीत, श्री यू .एन.एस. देव ने विचारक न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

16. बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जो 1995 सप्लीमेंट (4) एससीसी 259 में प्रकाशित किया गया है, में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है की :

"एक न्यायिकेतर संस्वीकृति अपनी प्रकृति से एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके मूल्यांकन में अत्यधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है जहाँ एक न्यायिकेतर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वह अपना महत्व खो देती है न्यायालय आमतौर पर किसी भी न्यायिकेतर संस्वीकृति पर भरोसा करने से पहले स्वतंत्र विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करते हैं"

17. एक अन्य निर्णय में, गुरु सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जो (2001) 2 एससीसी 205 में प्रकाशित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है की :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"न्यायिकेतर संस्वीकृति, यदि सच्ची और स्वैच्छिक है, तो न्यायालय द्वारा कथित अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है न्यायिकेतर संस्वीकृति की अंतर्निहित कमजोरी के बावजूद, इसे तब अनदेखा नहीं किया जा सकता जब यह दिखाया जाए कि ऐसी संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के समक्ष की गई थी जिसके पास झूठा बयान देने का कोई कारण नहीं था और जिसे ऐसी परिस्थितियों में किया गया था जो बयान का समर्थन करती हैं अभियुक्त द्वारा गवाहों के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य को हमेशा दूषित साक्ष्य नहीं कहा जा सकता है ऐसे साक्ष्य की पुष्टि केवल अत्यधिक सावधानी के तौर पर आवश्यक है यदि न्यायालय उस गवाह पर विश्वास करता है जिसके समक्ष संस्वीकृति की गई है और संतुष्ट है कि संस्वीकृति सच्ची थी और स्वेच्छा से

किया गया है, तो दोषसिद्धि केवल ऐसे साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है दांडिक मामले की सुनवाई करने वाली न्यायालय के लिए यह अवधारित करना उचित नहीं है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति हमेशा कमजोर प्रकार का साक्ष्य होती है यह परिस्थितियों की प्रकृति, संस्वीकृति किए जाने के समय और ऐसे संस्वीकृति के बारे में बोलने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा

न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का खंडन, जो दांडिक मामलों में एक सामान्य घटना है, अपने आप में ऐसी संस्वीकृति के आधार पर अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करेगा एक स्पष्ट न्यायिकेत्तर संस्वीकृति में उच्च प्रमाणिक मूल्य होता है क्योंकि यह अपराध करने वाले व्यक्ति से निकलता है और साक्ष्य में स्वीकार्य है बशर्ते यह किसी संदेह या किसी मिथ्या सुझाव से मुक्त हो हालांकि, कथित संस्वीकृति पर भरोसा करने से पहले,न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि यह स्वैच्छिक है और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 कें तहत परिकल्पित किसी प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं है या धारा 25 और 26 कों दरकिनार करने के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं लाया गया थान्यायालय को आसपास की परिस्थितियों की जांच करनी होगी ताकि यह पता चल सके कि ऐसी संस्वीकृति किसी अनुचित या संपार्श्विक विचार से प्रेरित तो या विधि का उल्लंघन तो नहीं है जो यह दर्शाती है कि यह सच नहीं हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसलिए , न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर भरोसा करने के लिए, न्यायालय को अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की स्वेच्छा, सत्यता और तत्परता के बारे में सुनिश्चित करना आवश्यक है न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की स्वेच्छा, सत्यता और तत्परता का पता लगाते समय,न्यायालय को साक्ष्य, सुसंगत परिस्थितियों, वह व्यक्ति जिसके सामने संस्वीकृति की गई है, इसे करने का समय और स्थान, और यह कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति किसी प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं है या संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं की गई है, की जांच करनी होगी जहांन्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है या न्यायालय का पूरा विश्वास प्रेरित नहीं करती है, तो न्यायालय को न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर कोई भरोसा करने से पहले स्वतंत्र विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करनी होगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, अब हम अभियोजन द्वारा वर्तमान मामले में पेश किए गए साक्ष्य की जांच करेंगे ताकि यह स्थापित किया जा सके कि अभियुक्त पवन कुमार नागराज साहू ने राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –3), महेंद्र सिंह गिल (अ. सा. –9) और प्रीतम सिंह (अ. सा. –10) क◌े सामने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी कि उसने दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 को लगभग शाम 5 बजे धमधा दुर्ग रोड पर, उसके मित्र (मितन) सह–अभियुक्त कमला प्रसाद लोधी के कहने पर टैंकर के नीचे कुचलकर अभयराम और मुकुटधर की हत्या की थी विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तीनों गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त पवन कुमार ने इन तीनों गवाहों के समक्ष स्वेच्छा से और सत्य न्यायिक संस्वीकृति की थी हमने उन तीनों गवाहों के साक्ष्य की जांच की है

जिनके समक्ष अभियुक्त ने न्यायिक संस्वीकृति की थी यह स्पष्ट है कि संबंधित दिन अभियुक्त पवन कुमार महेंद्र सिंह (अ.सा–9) के टैंकर के चालक/क्लीनर के रूप में काम कर रहा था, प्रीतम सिंह (अ. सा. –10) महेंद्र सिंह (अ.सा–9) की जीप का चालक था और राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8) महेंद्र सिंह (अ.सा–9) के न्यायालय और आर.टी.ओ. मामलों की देखरेख करते थे उपरोक्त तीनों गवाहों के साक्ष्य की बारीकी से जांच से पता चलता है कि अभियुक्त पवन कुमार द्वारा उनके समक्ष की गई न्यायिक संस्वीकृति के संबंध में उनका साक्ष्य समय और स्थान के बिंदु पर अस्थिर है और काफी हद तक एक दूसरे के विपरीत है, और उनका साक्ष्य अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिक संस्वीकृति की सत्यता के बारे में पूर्ण विश्वास उत्पन्न नहीं करता है, निम्नलिखित कारणों से:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- महेंद्र सिंह (अ.सा–9) ने कहा है कि दिनांक 31–10–1999 को लगभग 7–7:30 बजे अभियुक्त पवन कुमार ने उन्हें फोन किया था कि टैंकर से हत्या हुई है यह सुनकर, अ.सा–9 ने अभियुक्त से कहा कि वाहन को चिखली फार्म हाउस परिसर में पार्क किया जाए अगले दिन सुबह, 9–930 बजे वह चिखली फार्म हाउस गए, जहाँ मैकेनिक अशोक और 2–3 अन्य व्यक्ति टैंकर के दो पिछले पहियों के टायरों के बीच फंसे साइलेंसर को निकाल रहे थे अभियुक्त पवन कुमार, मैकेनिक अशोक, प्रीतम सिंह, राजेश और सुनील श्रीवास्तव भी वहां मौजूद थे अभियुक्त पवन कुमार बता रहा था कि उसने धमधा के पास टैंकर के नीचे कुचलकर दो व्यक्तियों की हत्या की है इस पर, अ.सा–9 ने अभियुक्त पवन कुमार से पूछा कि पिछले दिन उसने उसे भिलाई स्टील प्लांट में तेल भरने के लिए जाने को कहा था, तो वह धमधा क्यों गया अभियुक्त पवन कुमार ने जवाब दिया कि उसने दूसरे

टैंकर चालक को भिलाई स्टील प्लांट से तेल भरने के लिए कहा था और वह अपने दोस्त के साथ धमधा गया था जहाँ उन्होंने शराब का सेवन किया और जब पिता और पुत्र स्कूटर पर जा रहे थे, तो उसने उन्हें टैंकर के नीचे कुचल दिया।

- जबकि, राजेश कुमार दुबे अ. सा. –8 जो पेशे से पत्रकार हैं, वह महेंद्र सिंह के आरटीओ कार्यालय और न्यायालीन मामलों के काम की देखरेख करते थे और जिसके बारे में महेंद्र सिंह ने कहा है कि वह 1 नवंबर , 1999 को चिखली फार्म हाउस में मौजूद था, जहाँ अभियुक्त ने न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, उसने कहा है कि वर्ष 1999 की दीपावली के अगले दिन, अभियुक्त पवन कुमार नागराज साहू लगभग 9–930 बजे उसके घर आया और कहा कि उसे अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना है, जिस पर, अ. सा. –8 ने उससे पूछा कि वह जमानत के लिए क्यों आवेदन करना चाहता है, तब अभियुक्त ने उसके सामने न्यायिकेतर संस्वीकृति की कि उसके मित्र कांटा प्रसाद लोधी, गांव : सोनेसरार को अभयरामपटेल से दुश्मनी थी, इसलिए , कामता प्रसाद (उसके मित्र) द्वारा पूछे जाने पर, उसने धमधा दुर्ग रोड पर परोदा मोड़ के पास टैंकर के नीचे कुचलकर अभयराम और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी अभयराम का पुत्र बच गया था, इसलिए , उसने टैंकर को पीछे किया और फिर से उसे टैंकर के नीचे कुचल दिया मृतक व्यक्तियों के स्कूटर का साइलेंसर टैंकर के पिछले पहियों के बीच फंस गया था अभियुक्त द्वारा इस घटना को बताने के तीसरे दिन, अ. सा. –8 महेंद्र सिंह के चिखली फार्म हाउस गया और महेंद्र सिंह को अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में बताया महेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त ने उसे भी यही बात बताई है टैंकर महेंद्र सिंह के फार्महाउस पर खड़ा था महेंद्र सिंह ने उसे यह भी बताया कि उसने मैकेनिक अशोक निर्मलकर से पहियों की जांच करने के लिए कहा था और उसके सामने अशोक निर्मलकर ने साइलेंसर को पिछले पहियों के बीच फंसा हुआ पाया उसके बाद, उसने वहीं से पुलिस थाना धमधा को सूचित किया।

- अपने साक्ष्य के कंडिका 5 में, राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8) ने आगे कहा है कि हत्या 31 अक्टूबर, 1999 को हुई थी, उस समय, वह देहरादून में था और 4 या 5 नवंबर , 1999 को लक्ष्मी पूजा के दिन भिलाई लौटा, अगले दिन, अभियुक्त पवन कुमार नागराज साहू आया और उसे सूचित किया इसलिए , यह 5 या 6 नवंबर , 1999 को जाता है, जबकि महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) ने अपने साक्ष्य के पहले कंडिका में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त ने 1 नवंबर , 1999 को अपने फार्म हाउस पर मैकेनिक अशोक, उसके वाहन चालक प्रीतम सिंह, राजेश (अ. सा. –8) और सुनील श्रीवास्तव के सामने न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी जबकि, राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8) ने कहा है कि वह देहरादून से केवल 4 या 5 नवंबर , 1999 को लौटा था और उस समय वह भिलाई या दुर्ग में नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- जब उसी शाम अभियुक्त पवन कुमार ने महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) को टेलीफोन पर अपने द्वारा किए गए हत्या के बारे में सूचित किया, तो उसने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी, प्रतिपरीक्षण कंडिका 10 में उसका जवाब था कि उसने पुलिस को सूचित नहीं किया क्योंकि वह उतना सतर्क नहीं है इसके बाद, उसने स्वयं कहा है कि उस समय अभियुक्त का बयान पुष्ट नहीं हुआ था क्योंकि

अभियुक्त नशे की हालत में था लेकिन फिर भी, उसने स्वयं पुलिस को कभी सूचित नहीं किया उसने आगे कहा है कि 2 नवंबर , 1999 को, पुलिस उससे मिली और उससे एमपी–24/ए–5354 नंबर के टैंकर के स्वामित्व के बारे में पूछताछ की, तब उसने जवाब दिया कि टैंकर उसका है सीएसपी ने उससे आगे पूछा, "क्या आप जानते हैं कि टैंकर के द्वारा हत्या की गई है?" तब उसने हां कहा जब उससे टैंकर के बारे में पूछा गया , तो उसने कहा कि टैंकर तेल भरने के लिए भिलाई स्टील प्लांट गया है ताकि उसे रेणुकोट ले जाया जा सके जब उसे पता था कि हत्या उसके टैंकर द्वारा की गई है, तो उसने ट्रक को तेल भरने और उसे रेणुकोट ले जाने के लिए भिलाई स्टील प्लांट जाने की अनुमति क्यों दी, यह ज्ञात नहीं है उसका यह स्पष्टीकरण कि वह पुलिस को सूचित करने के लिए उतना सतर्क नहीं था, स्वयं उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य की गुणवत्ता को दर्शाती है यह अभिलेख पर आया है कि वह 18 टैंकरों के बेड़े का मालिक है और वह एक परिवहन व्यवसाय चला रहा है यह कैसे संभव हो सकता है कि उसे इस तथ्य की जानकारी न हो कि यदि उसके वाहन से अपराध किया गया है, तो उसे पुलिस को मामले की सूचना देनी आवश्यक है या नहीं, यह विश्वसनीय नहीं है इसके बाद, महेंद्र कहा है कि सी.एस.पी. से बातचीत के बाद उसने अपने पुत्र से पवन को लाने के लिए कहा जिसने टैंकर लिया था उसका पुत्र गया और सिमगाके पास टैंकर का पता लगाया, वह पवन को लाया, हालांकि, ट्रक रेणुकोट चला गया था उसके प्रतिपरीक्षण के कंडिका 11 में, उसने कहा है कि उसी दिन नागराज ने उसे टेलीफोन पर हत्या के बारे में सूचित किया और अगले दिन उसने अखबार में टैंकर द्वारा की गई हत्या के बारे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में पढ़ा इसके बाद, पुलिस उसके पास आई लेकिन इस व्यक्ति (अ. सा. –9) ने पुलिस को कभी मामले की सूचना नहीं दी।

- महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) के साक्ष्य में उसने कुछ सुधार किए हैं उसके साक्ष्य के कंडिका 14 में उसने कहा है कि पुलिस को बयान प्रदर्स डी–3 देते समय, उसने खुलासा किया कि अभियुक्त ने उसके सामने संस्वीकृति किया था कि जब पिता और पुत्र स्कूटर पर लौट रहे थे तब शाम को उसने टैंकर के नीचे कुचल दिया, उसे नहीं पता कि पुलिस ने अपने बयान में इस तथ्य का उल्लेख क्यों नहीं किया है उसने आगे कहा है कि दिनांक02–11–1999 को उसके निर्देश पर, अभियुक्त टैंकर को भिलाई स्टील प्लांट ले गया यह जानते हुए भी कि अपराध टैंकर द्वारा किया गया था, उसने टैंकर क्यों भेजा, उसने जवाब दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि , अभियुक्त उसकी निगरानी में रहना चाहिए उसने आगे जवाब दिया कि उसने बयान देते समय पुलिस को सूचित किया कि अभियुक्त नागराज ने उसे बताया है कि वह अपने दोस्त के साथ धमधा गया था, उसे नहीं पता कि यह तथ्य पुलिस के सामने दिए गए उसके प्रदर्स दि–3 बयान में क्यों नहीं बताया गया है उसने आगे कहा है कि वह ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं है, इसलिए उसने न तो अभियुक्त को और न ही टैंकर को अपनी मर्जी से पुलिस को सौंपा था और टैंकर उसके फार्म हाउस में 5–6 दिनों से खड़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- राजेश कुमार दुबे (अ. सा. –8) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 13 में कहा है कि यह कहना गलत है कि दुर्घटना के दिन, टैंकर की मरम्मत महेंद्र सिंह द्वारा कराई गई थी और उसे रेणुकोट भेजा गया

था, जबकि, महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटना के अगले ही दिन टैंकर को रेणुकोट भेजा गया था अ. सा. –8 ने कहा है कि तीसरे दिन वह महेंद्र सिंह के फार्म हाउस गया और मैकेनिक अशोक से टैंकर के पिछले पहियों की जांच करने को कहा, उसकी उपस्थिति में अशोक ने टैंकर के पिछले पहियों की जांच की और साइलेंसर वहीं फंसा हुआ पाया गया , जबकि, वास्तव में, अ. सा. –9 के साक्ष्य के अनुसार, अगले ही दिन, ट्रक को रेणुकोट भेजा गया था।

- अब, प्रीतम सिंह (अ. सा. –10) के साक्ष्य पर आते हैं, जो महेंद्र सिंह की जीप के चालक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दिनांक 03 नवंबर , 1999 को यानीदुर्घटना के 3 दिन बाद, सुबह लगभग 10 बजे, चिखली फार्म हाउस में, अभियुक्त नागराज ने उसे बताया कि वह अपने दोस्त कामता के साथ टैंकर को धमधा ले गया था, कामता की किसी व्यक्ति के प्रति कुछ दुश्मनी थी, इसलिए , उसने टैंकर के नीचे कुचलकर दो व्यक्तियों की हत्या कर दी और वे मौके पर ही मर गए अभियुक्त नागराज ने आगे कहा है कि वह तीन और व्यक्तियों की हत्या करेगा अ. सा. –10 ने यह बात महेंद्र सिंह को बताई है जबकि, महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) ने कहा है कि अगले ही दिन सुबह, अभियुक्त ने उसे अशोक, प्रीतम सिंह और राजेश कुमार दुबे की उपस्थिति में हत्या करने के बारे में बताया अ. सा. –10 ने कहा है कि अभियुक्त ने उसे घटना के बारे में केवल 3 नवंबर , 1999 को बताया था जब अगले ही दिन, पवन ने महेंद्र सिंह की उपस्थिति में न्यायिकेतर संस्वीकृति की, तो पवन को दिनांक3 नवंबर , 1999 को इस गवाह (अ. सा. –10) के सामने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिर से संस्वीकृति करने और इस गवाह द्वारा महेंद्र सिंह को यह बताने की क्या आवश्यकता थी कि अभियुक्त ने उसके सामने संस्वीकृति की है अपनी प्रतिरक्षा के कंडिका 5 मंे, अ. सा. –10 नंे स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे घटना के तीन दिन बाद ही अभियुक्त नागराज द्वारा बताए जाने पर पता चला और उसे घटना के अगले ही दिन अभियुक्त द्वारा हत्या करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उसने आगे कहा है कि यह कहना गलत है कि नागराज अगले ही दिन टैंकर को रेणुकूट ले गया और यह पूरी तरह से गलत है।

- अशोक निर्मलकर की अ. सा. –13 के रूप में जांच की गई है, जिसकी उपस्थिति में और जिसके सामने अभियुक्त ने घटना के अगले दिन सुबह यानी 1 नवंबर , 1999 को महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) की उपस्थिति में न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह महेंद्र सिंह के चिखली फार्म हाउस में मैकेनिक के रूप में काम करता है, दीपावली त्योहार से कुछ दिन पहले, उसके मालिक ने उसे वाहन संख्या 5354 की जांच करने के लिए कहा था, जांच करने पर उसने पाया कि स्कूटर का साइलेंसर पिछले पहियों के बीच फंसा हुआ था और साइलेंसर पर "स्मार्ट " शब्द लिखा हुआ था पुलिस ने उस साइलेंसर को प्रदर्श पी–12 कंे तहत जब्त किया था प्रदर्श पी–12 के अनुसार, साइलेंसर को दिनांक12–11–1999 को जब्त किया गया था इसलिए , उसका साक्ष्य महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) कंे साक्ष्य का खंडन करता है, जिसने कहा है कि इस गवाह की उपस्थिति में अभियुक्त ने 1 नवंबर , 1999 को हत्या करने के बारे में खुलासा किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- अतः, उपरोक्त गवाहों के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति से संबंधित साक्ष्य संदिग्ध है और उन में से प्रत्येक ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी साक्ष्य दिए हैं महेंद्र सिंह (अ. सा. –9) ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में सुधार किया है इन परिस्थितियों में, ऐसी न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बिना किसी अन्य सुसंगत साक्ष्य द्वारा भौतिक विवरणों में किसी भी पुष्टि के बिना, इन चारों गवाहों के उनके समक्ष किए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है

वास्तव में, अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति की पुष्टि के लिए अभिलेख पर कोई ठोस और स्पष्ट सबूत नहीं है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूसरी परिस्थिति

20. जहाँ तक इस परिस्थिति का संबंध है, अभयराम की विधवा जानकी बाई (अ. सा. –11) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्त कामता ने एक बोरवेल लगाया था और जब भूमि की माप की गई तो पाया गया कि बोरवेल उनकी भूमि पर स्थापित किया गया था, इसलिए , उनके पति, बेटों और कामता के बीच विवाद था अभियुक्त ने उनके पति और पुत्र को उनकी हत्या करने की धमकी दी थी राजकपूर पटेल (अ. सा. –14) ने भी कहा है कि अभियुक्त कामता और मृतक व्यक्तियों के बीच भूमि के संबंध में विवाद था पटवारी के माध्यम से भूमि की माप कराई गई और यह पाया गया कि बोरवेल अभियुक्त कामता द्वारा अभयराम पुष्करपटेल (अ. सा. –2) के खेत में स्थापित किया गया था,

जो अभयराम का पुत्र है, उसने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि उसके परिवार और अभियुक्त के बीच भूमि विवाद था।

21 सुरेश तिवारी (अ. सा. –22), उपनिरीक्षक, न े भी अपने साक्ष्य के कंडिका 28 में कहा है कि मृतक परिवार और कामता के बीच विवाद चल रहा था, द ोनों पक्षों को बंधन में रखने, पुलिस ने दिनांक 9–11–1998 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 के तहत कार्यवाही शुरू की थी जो रजिस्टर के क्रमांक 146 और 147 पर पंजीकृत की गई थी वर्ष 1999 म ें, दोनों परिवारों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया और 22–8–1999 क ो, पक ्षकारों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 (3) के तहत बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कहा गया दिनांक 5–8–1999 को, अभियुक्त कामता के भाई अर्जुनदास ने मृतक पक्ष के परिवार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने उसे पीटा था, मामला दर्ज किया गया और मामला रोजनामचा सन्हा में क्रमांक 155 पर दर्ज किया गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22 इसलिए , इस आशय का सबूत है कि एक ओर मृतक व्यक्तियों के परिवार और दूसरी ओर अभियुक्त कामता के बीच विवाद था।

तीसरी परिस्थिति

23. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, भ ारतीय दंड संहिता की धारा 120–क आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है जिस में यह परिकल्पना की गई है कि “जब दो या अधिक व्यक्ति

(1) कोई अवैध कार्य, या

(2) कोईऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवेध साधनों द्वारा,करनेया करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते है , तब ऐसा सहमती आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है:

परंतु किसी अपराध करने के सहमती के सिवाए कोई भी सहमती दांडिक षड्यंत्र तबतक नहीं होगी, जब तक कि सहमति अतिरिकत कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमती के एक या अधिक पक्षकारो द्वारा नहीं कर दिया जाता

(24) एक दांडिक षड्यंत्र के तत्व इस प्रकार बताए गए हैं:

(a) हासिल किया जाने वाला एक उद्देश्य,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(b) उस उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों को समाहित करने वाली एक योजना या स्कीम,

©अभियुक्त व्यक्तियों में से दो या अधिक के बीच कोई सहमती या सहमती, जिसके तहत वे सहमती में निहित साधनों द्वारा, या किसी प्रभावी साधन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग करने हेतु निश्चित रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, और

(d) उस क्षेत्राधिकार में जहाँ संविधि को एक स्पष्ट कार्य की आवश्यकता होती है

किसी आपराधिक षड्यंत्र का सार विधिविरुद्ध जमाव है और आमतौर पर अपराध तब पूरा होता है जब जमाव गठित होता है षड्यंत्र को अपराध बनाना, स ाधनों के जमाव से प्राप्त होने वाली अत्यधिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, जो नुकसान पहुंचा सकती है सह–षड्यंत्रकारियों द्वारा एक–दूसरे को दिया गया प्रोत्साहन और समर्थन, जो उन उद्यमों को संभव बनाता है जो व्यक्तिगत

प्रयास से असंभव होते, षड्यंत्रकारियों और उकसाने वालों को कठोर दंड देने का आधार प्रदान करता है षड्यंत्र को इसके सभी सदस्यों के संबंध में निरंतर और नवीनीकृत माना जाता है, जहाँ भी और जब भी षड्यंत्र का कोई सदस्य सामान्य आशय के अग्रशरण में

25) धारा 120–ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए, अभियोजन को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अपराधियों ने स्पष्ट रूप से कोई अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमति व्यक्त की थी; सहमती आवश्यक निहितार्थ द्वारा साबित किया जा सकता है आपराधिक षड्यंत्र का आधार अपराध करने के सहमती में निहित है एक षड्यंत्र में केवल दो या अधिक का आशय नहीं होता, बल्कि दो या अधिक व्यक्ति का एक अवैध कार्य को अवैध साधनों से करने का सहमती होता है जब तक एसी योजना केवल आशय तक सिमित है , तब तक दांडिक अपराध नहीं है जब दो इसे प्रभावी करने के लिए सहमत होते हैं, तो स्वयं षड़यंत्र अपने आप में एक कार्य होता है, और प्रत्येक पक्ष का एक कार्य, वादे के बदले वादा, कार्य के बदले कार्य, यदि वैध हो तो लागू करने योग्य, यदि दांडिक उद्देश्य के लिए हो या दांडिक साधनों के उपयोग के लिए हो तो दंडनीय होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26) षड्यंत्र का सीधा सबूत शायद ही कभी उपलब्ध होता है अपराध के तत्व यह हैं कि जिन व्यक्तियों पर षड्यंत्र का आरोप है उनके बीच एक सहमती होना चाहिए और उक्त सहमती एक अवैध कार्य करने के लिए होना चाहिए या अवैध साधनों द्वारा एक कार्य करने के लिए होना चाहिए जो स्वयं अवैध नहीं हो सकता है इसलिए , आपराधिक षड्यंत्र का सार एक अवैध कार्य करने का सहमती है और ऐसा सहमती या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या परिस्थितिजन्य प्रमाण से या दोनों से सिद्ध किया जा सकता है, और यह एक

सामान्य अनुभव की बात है कि षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है इसलिए , घटना से पहले, उसके दौरान और उसके बाद सिद्ध हुई परिस्थितियों पर घटित हुए व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

27. भगवान स्वरूप लाल बिशान लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, जो ए.आई.आर. 1965 एससी 682 में प्रकाशित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "षड्यंत्र के अपराध को साबित करने के तरीके और किसी अन्य अपराध को साबित करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है, इसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से स्थापित किया जा सकता है"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28)षड्यंत्र की विशेषताएं गोपनीयता और रहस्य हैं, न कि सार्वजनिक रूप से खुले स्थान पर जोर से चर्चा करना षड्यंत्र के प्रमाण में प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होता है, षड्यंत्र के अपराध को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है आपराधिक षड्यंत्र के गठन की तारीख, षड्यंत्र के गठन में भाग लेने वाले व्यक्तियों, उस उद्देश्य के बारे में, जिसे षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया था, और उस तरीके के बारे में, जिससे षड्यंत्र का उद्देश्य पूरा किया जाना है, के बारे में सकारात्मक साक्ष्य देना हमेशा संभव नहीं होता है, यह सब अनिवार्य रूप से अनुमान का विषय है।

29) चंद्रसेनान बनाम केरल राज्य के मामले में, जो (1995) 2 एस.सी.सी. 99 में प्रकाशितकिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि"षड्यंत्र खुले में नहीं रचे जाते हैं, अपनी प्रकृति से, वे गुप्त रूप

से नियोजित होते हैं, उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी सिद्ध किया जा सकता है, षड्यंत्र से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी का कोई परिणाम नहीं होता है" ।

30)इस संबंध में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10 भी सुसंगत है, जो यह बताती है कि "जहाँ यह मानने का उचित आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने एक अपराध या एक कार्रवाई योग्य गलत कार्य करने के लिए मिलकर षड्यंत्र रचा है, ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा अपनी सामान्य आशय के संदर्भ में, उस समय के बाद जब ऐसीआशय उन में से किसी एक द्वारा पहली बार धारण की गई थी, कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, षड्यंत्र रचने वाले समझे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ एक सुसंगत तथ्य है, साथ ही साबित करने के उद्देश्य से भी, "षड्यंत्र के अस्तित्व को दर्शाने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति इसका पक्षकार था"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि षड़यंत्र का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाए धारा 10 तभी लागू होती है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि यह मानने का उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने के लिए मिलकर षड़यंत्र रची है दूसरे शब्दों में, प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति षड़यंत्र का पक्षकार था, इससे पहले कि उसके कृत्यों का उपयोग उसके सह–षड़यंत्रकर्ता के खिलाफ किया जा सके एक बार ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद होने पर, षडयंत्रकर्ताओं में से किसी एक द्वारा सामान्य आशय के संदर्भ में कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, उस आशय के पहली बार उत्पन्न होने के बाद, दूसरों के

खिलाफ सुसंगत होती है यह न केवल षड़यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से सुसंगत है, बल्कि यह भी साबित करने के लिए कि दूसरा व्यक्ति इसका पक्षकार था ।

31. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, ह में इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करनी होगी, ताकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके यह स्थापित किया जा सके कि मृतक अभयराम और मुकुटधर के साथ दुश्मनी के कारण अभियुक्त कामता ने पवन नागराज , अश्वनी कुमार, गणेश , दिलीप और राजू के साथ मिलकर उनकी हत्या करने की षड़यंत्र रची थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. अभियोजन का मामला, जैसा कि निर्णय के पूर्व भाग में उल्लेख किया गया है, यह है कि कामता और मृतक अभयराम और मुकुटधर के बीच दुश्मनी के कारण, 31101999 को, अभियुक्त पवन ने अन्य व्यक्तियों के साथ टैंकर संख्या एमपी–24/ए–5354 को गांव सोनेसरोर में अभियुक्त कामता के घर लाया, वहां उन्होंने शराब का सेवन किया और बातें कर रहे थे, अभियुक्त कामता ने मृतक को गाली देते हुए कहा कि "आज उसे मारना है और उसे भागना नहीं चाहिए" यह खेमूराम ने सुना था टैंकर अश्वनी चला रहा था जब अभयराम और मुकुटधर धमधा के लिए निकले, तो टैंकर उनके पीछे–पीछे धमधा तक गया अभियुक्त व्यक्ति टैंकर सहित धमधा में इकट्ठा हुए थे, वे अभयराम और मुकुटधर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, जब मृतक व्यक्ति अपनी स्कूटर पर धमधा से अपने गांव जाने के लिए निकले, तो टैंकर उनके पीछे–पीछे गया और अभियुक्त कामता ने गणेश और एक अन्य व्यक्ति के साथ बुलेट पर टैंकर का पीछा किया षड़यंत्र स्थापित करने के लिए, अभियोजन ने जानकी

बाई (अ. सा. –11), राजकपूर पटेल (अ. सा. –14), सुरेश तिवारी (अ. सा. –22) ,जांच अधिकारी , रोमनाथ (अ. सा. –16), कोमटेपटेल (अ. सा. –6) और सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) का परीक्षण किया है।

33). पहली बार में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब अभियुक्त व्यक्ति 31 अक्टूबर, 1999 को कामता के निवास पर शराब का सेवन कर रहे थे, तो एक गवाह खेमूराम ने कामता को यह कहते हुए सुना कि "आज साले लोगों को मारना है बचना नहीं चाहिए" इसलिए , खेमूराम षड़यंत्र स्थापित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह था कि अभियुक्त व्यक्ति कामता के निवास पर बैठे थे और हत्या करने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी जांच नहीं की गई है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34)जानकी बाई (अ. सा. –11), मृतक अभयराम की पत्नी, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि कामता , गणेश और अश्वनी को वह जानती है, जो अभियुक्त राजू की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वह कामता का मित्र (मितन) है उसने कहा है कि दीपावली से 3–4 दिन पहले, कामता के निवास पर एक टैंकर खड़ा था, उसके पति और पुत्र धमधा के लिए एक स्कूटर पर निकले थे, उस समय, टैंकर अभियुक्त के निवास पर खड़ा था, लगभग 3–330 बजे उसने देखा कि टैंकर जा रहा था और कामता भी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, शाम को उसे घटना के बारे में पता चला मुख्य परीक्षण में, उसने कहा है कि अभियुक्तों ने उनकी जमीन पर एक बोरवेल लगाया था, इसलिए विवाद शुरू हुआ और कामता ने उसके पति अभयराम और पुत्र मुकुटधर को उनकी हत्या करने की धमकी दी प्रति–परीक्षण में उसने कहा है कि वह नहीं जानती कि यह तथ्य उसकी पुलिस डायरी कथन प्रदर्सदि–5 में क्यों नहीं

बताया गया है उसने आगे कहा है कि पुलिस को बयान देते समय उसने उन्हें बताया था कि टैंकर कामता के घर के सामने खड़ा था, वह नहीं जानती कि यह तथ्य उसकी पुलिस डायरी कथन प्रदर्श दि–5 में क्यों नहीं बताया गया है उसकी पुलिस डायरी कथन एक्सदि–5 में यह तथ्य कि टैंकर कामता के घर के सामने खड़ा था, उस के बाद कामता और टैंकर चले गए, नहीं लिखा गया है इसलिए , इस गवाह ने अपने न्यायालय के साक्ष्य में सुधार किया है, उस हद तक और अपने पति और पुत्र को मारने की धमकी देने की हद तक उसकी उपस्थिति में विश्वास नहीं किया जा सकता है इन परिस्थितियों में, षड़यंत्र स्थापित करने के लिए उसका साक्ष्य किसी काम का नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. राजकपूर पटेल (अ. सा. –14) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्त कामता , गंदेस और श्रवण, जिसे अश्वनी के नाम से भी जाना जाता है, को वह जानता है अभियुक्त राजेश की ओर इशारा करते हुए, इस गवाह ने कहा है कि वह अभियुक्त कमरा का मित्र (मितान) है उसने आगे कहा है कि अभयराम की मृत्यु टैंकर से हुई। अभियुक्त कामता ने अभयराम की जमीन पर बोरवेल लगाया था, इसलिए मृतक और अभियुक्त के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर पटवारी द्वारा जमीन की माप की गई और पाया गया कि बोरवेल अभयराम की जमीन पर लगा था। इसलिए , कामता ने अभयराम से कहा कि यदि वह उस जमीन पर कब्जा करेगा, तो वह उसकी हत्या कर देगा। अभयराम का पुत्र पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराने गया । लेकिन, प्रति–परीक्षण में, उसने कहा है कि उसने पुलिस को अभयराम के विवाद के बारे में नहीं बताया था कि 4 महीने पहले कामता ने अभयराम की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी और पटवारी को जमीन मापने के लिए बुलाया गया था, उसे

नहीं पता कि यह पुलिस डायरी बयान प्रदर्श डी–6 में कैसे लिखा गया है। इस गवाह के साक्ष्य से यह अभिलेख में आया है कि अभियुक्त और मृतक के बीच जमीन को लेकर विवाद था और अभियुक्त ने मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

36. रोमनाथ (अ. सा. –16) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि रविवार शाम लगभग 4 बजे एक टैंकर कामता के घर के सामने खड़ा था जिसे अश्वनी धमधा की ओर चला रहा था। प्रति–परीक्षण में, उसने कहा है कि कई बार, तेल टैंकर उसके गांव आता है और वहीं खड़ा किया जाता है। उस दिन, उसने अश्वनी कुमार को टैंकर चलाते हुए देखा और उसने कामता के घर के पास टैंकर खड़ा किया। प्रति–परीक्षण में, उसने कहा है कि वह अभियुक्त पवन नागराज को नहीं जानता क्योंकि वह उसके गांव में नहीं रहता है, उसने पवन को पहली बार देखा है और जब अभयराम और मुकुटधर की मृत्यु हुई थी उस दिन उसने पवन को गांव में नहीं देखा था। यदि इस गवाह के साक्ष्य की जांच की जाती है, तो पहली बार में, उसने टैंकर का नंबर नहीं बताया है और जिस टैंकर से अभयराम और मुकुटधर की हत्या हुई थी, उसे इस गवाह द्वारा पहचान नहीं करवाया गया ताकि यह स्थापित हो सके कि कामता के घर के पास खड़ा टैंकर वही था जिससे अभय और मुकुटधर कुचले गए थे। इसके अलावा, अभियोजन का मामला यह है कि टैंकर पवन नागराज द्वारा चलाया गया था जबकि, इस गवाह ने कहा है कि उसने कामता के घर या गांव में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अभियुक्त पवन को नहीं देखा और आगे कहा है कि ट्रक अश्वनी द्वारा चलाया जा रहा था, पवन द्वारा नहीं। इसलिए , इस गवाह के साक्ष्य से, यह नहीं माना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सकता है कि एम् पी–24/ए 5354 नंबर वाला ट्रक कामता के घर के पास खड़ा था जिससे अभयराम और मुकुटधर की मृत्यु हुई थी।

37. इसलिए , जानकी बाई (अ. सा. –11) और रोमनाथ (अ. सा. –16) के साक्ष्य से, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि रविवार अर्थात दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 को कांता के घर के सामने टैंकर नंबर एम्.पी–24/ए–5354 खड़ा था और उसे अभियुक्त पवन उर्फ नागराज चला रहा था।

38. अब, कांता पटेल (अ. सा. –6) और सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) के साक्ष्य पर आते हुए, यह स्थापित करने के लिए कि अभियुक्त कामता और अन्य अभियुक्त व्यक्ति धमधा में संबंधित टैंकर के साथ इकट्ठे हुए थे, वे अभयराम और मुकुटधर की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे, जब वे धमधा से अपने गांव सोनेसरार के लिए स्कूटर पर निकले थे, अभियुक्त पवन टैंकर नंबर एम्.पी–24/ए–5354 चला रहा था और अभियुक्त कामता मोटरसाइकिल पर गणेश के साथ टैंकर का पीछा कर रहा था कांतापटेल (अ. सा. –6) ने कहा है कि चूंकि अभियुक्त कामता ने अपनी तार टोचन ले ली थी, इसलिए उसदुर्घटना वाले दिन यानी रविवार को लगभग 4:15 बजे वह टोचन वापस लेने के लिए कामता के गांव गया था, लेकिन वह अपने निवास पर नहीं मिला और उसके पुत्र ने बताया कि कामता धमधा गया है इसलिए , वह अपने चचेरे भाई सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) के साथ अपने स्कूटर पर धमधा के लिए निकले और शराब की दुकान के पास उनकी मुलाकात कामता से हुई कामता वहां पांच व्यक्तियों के साथ था जिन में कामता , गणेश , अश्वनी और तीन अन्य शामिल थे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिन्हैं वह नहीं जानता था तीन व्यक्ति टैंकर में बैठे थे, जबकि कामता और दो अन्य ट्रॉली के पास खड़े थे जब उसने कामता से उसकी टोचन के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि तुम शाम को घर आकर टोचन ले जाना वह और उसका चचेरा भाई सूर्य प्रकाश दुकान में अंडे खाने लगे, जिसके बाद उन्हें दुर्घटना के बारे में पता चला इसलिए , वे दुर्घटना स्थल पर गए और देखा कि अभयराम और मुकुटधर घायल व्यक्ति थे, वे अभयराम के परिवार के सदस्यों को उनके गांव सूचित करने के लिए निकले अ. सा. –6 ने आगे कहा है कि दुर्घटना के दिन, वह अभयराम और मुकुटधर से नहीं मिल सका उसने आगे कहा है कि जब वे अंडे खाने के बाद धमधा के होटल से बाहर निकले, तो अभियुक्त कामता वहां नहीं था इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है प्रतिपरीक्षण में, उसने कहा है कि यह कहना सही है कि दुर्घटना के दिन धमधा में अभियुक्त कामता और उसके सहयोगी टैंकर में बैठे थे और उसके बाद, उसने कहा है कि उस समय, अभियुक्त पवन, गणेश और अश्वनी टैंकर में बैठे थे और अभियुक्त कामता पान की ट्रॉली के पास खड़ा था उसके बाद, उसने कहा है कि अभियुक्त राजेश भी कामता के साथ खड़ा था उसने आगे कहा है कि उसके पुलिस बयान प्र पी–10 का हिस्सा कि दुर्घटना के बारे में उसने सोचा कि यह कामता का कार्य है, यह बात उसने पुलिस को नहीं बताई सुजुकी मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आया और उसने दुर्घटना के बारे में सूचना दी कि टैंकर ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी है, उसने कहा कि टैंकर बहुत तेज गति में था उसने आगे कहा है कि उस दिन उसने पवन को देखा था, लेकिन वह उसे जानता नहीं है उसने यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भी कहा है कि मृतक अभयराम उसके साले का भाई था, उसने अभयराम के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था और उसके बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया।

39. कामता पटेल (अ. सा. –6) के साक्ष्य से अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त कामता और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई षड्यंत्र रचा था न तो इस गवाह ने कहा है कि अभियुक्त पवन ने टैंकर चलाया था, न ही उसने कहा है कि टैंकर मृतक व्यक्तियों का पीछा कर रहा था और उसके बाद अभियुक्त कांता ने गणेश और अन्य के साथ मोटरसाइकिल पर उनका पीछा किया, और न ही पुलिस ने इस गवाह से टैंकर की पहचान करवाई थी ताकि यह स्थापित हो सके कि जिस टैंकर से अभयराम और मुकुटधर कुचले गए थे, वह वही टैंकर था जिसे उसने धमधा बाजार में देखा था जहाँ अभियुक्त पवन बैठा था इसके अलावा, वह मृतक व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और बिना किसी पुष्टिकरण के, उसके साक्ष्य पर भरोसा करना मुश्किल है इसलिए , इस गवाह के साक्ष्य से, अभियोजन कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं कर पाया है कि किसी षड्यंत्र के अनुसरण में, अभियुक्त कामता , पवन, गणेश और राजू वहां एकत्र हुए थे और उसके बाद उन्होंने टैंकर पर मृतक व्यक्तियों के स्कूटर का पीछा किया था इसके अलावा, इस गवाह ने यह नहीं कहा है कि उस दिन उसने अभयराम या मुकुटधर को देखा था उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह धमधा में अभयराम और मुकुटधर से नहीं मिला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्त गणेश , कामता , अश्विनी और राजेश उर्फ राजू को वह जानता है, वह पवन और दिलीप को नहीं जानता है, वह उन्हें

पहली बार देख रहा है अभियोजन का मामला यह है कि टैंकर पवन द्वारा चलाया गया था जिसने अभयराम और मुकुटधर को कुचला था, जबकि इस गवाह ने कहा है कि उसने पवन और दिलीप को पहली बार देखा है इसलिए , पवन जिसने टैंकर चलाया था, उसे उसने नहीं देखा उसने बस इतना कहा है कि दुर्घटना से दो घंटे पहले, उसने धमधा बस स्टैंड पर कामता , राजेश , अश्विनी और गणेश को देखा था, वे पान ठेले के पास बैठे थे और उसके बाद, वह अपने चचेरे भाई कामता पटेल (अ. सा. –6) के साथ किराना दुकान पर गया था, उस समय अभियुक्त गणेश , कामता और राजेश उर्फ राजू बुलेट परपटेल होटल मै आए थे अश्विनी उनके साथ नहीं था इस गवाह ने कहा है कि वह मुकुटधर और अभयराम से सिन्हा पान ठेले पर मिला था, जबकि कामता पटेल (अ. सा. –6) जो इस गवाह के साथ था, ने कहा है कि वह उस दिन धमधा बाजार में अभयराम और मुकुटधर से नहीं मिला था इसलिए , यह कामता पटेल (अ. सा. –6) और सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) जो एक साथ थे के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(41): आगे, सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) ने कहा है कि जब वह अपने चचेरे भाई कामता पटेल (अ. सा. –6) के साथ किराना दुकान पर खड़ा था, तो उसने गणेश , कामता और राजेश राजू को बुलेट पर जाते देखा, उसे नहीं पता कि यह तथ्य पुलिस डायरी बयान प्रदर्सदि–1 में क्यों नहीं लिखा गया हैदुर्घटना के दिन, अभियुक्त व्यक्ति और मृतक व्यक्ति बस स्टैंड पर एक साथ खड़े नहीं थे, वे लगभग 100 फीट की दूरी पर थे और उसने अभियुक्त गणेश , कामता और राजेश राजू को बुलेट परपटेल होटल जाते देखा उसके साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रची

गई षड़यंत्र को स्थापित करने में असमर्थ रहा है क्योंकि इस गवाह ने कहा है कि वह अभयराम और मुकुटधर से मिला था, जबकि उसके चचेरे भाई कामता पटेल (अ. सा. –6) ने कहा है कि दुर्घटना के दिन, वह धमधा बाजार में अभयराम और मुकुटधर से नहीं मिला था इसलिए , उनके साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है अ. सा. –7 ने यह नहीं कहा है कि जब अभयराम और मुकुटधर अपने स्कूटर पर धमधा से निकले और अभियुक्त पवन के साथ कोई अन्य व्यक्ति टैंकर चला रहा था, तो उन्होंने उनका पीछा किया, न ही इस गवाह द्वारा प्रश्नगत टैंकर की पहचान की गई है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि जिस टैंकर से अभयराम और मुकुटधर की मृत्यु हुई थी, उसे अभियुक्त पवन चला रहा था उसने अभियुक्त पवन उर्फ नागराज तो बहुत दूर की बातहै ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है कि प्रश्नगत टैंकर को बाजार में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता देखा गया था, और टैंकर ने मृत व्यक्तियों का पीछा किया था इसलिए , कामता और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभयराम और मुकुटधर की हत्या की षड़यंत्र को स्थापित करने में उसके साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के लिए सहायक नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(42). उपरोक्त कारणों से, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि टैंकर संख्या एम् पी–24/ए–5354 को गांव धमधा में अभियुक्त कामता के घर के सामने किसी ने देखा था, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने किसी भी गवाह द्वारा टैंकर की पहचान नहीं करवाई है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि यह विशेष टैंकर अभियुक्त कामता के घर के पास खड़ा था, न ही किसी ने अभियुक्त कामता के घर के सामने खड़े टैंकर संख्या एम्.पी–24/ए–5364 के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराइ गई थी । अभियुक्त कामता पटेल (अ. सा. –6) और सूर्य प्रकाशपटेल (अ. सा. –7) के साक्ष्य भी

धमधा बाजार में अभयराम और मुकुटधर की उपस्थिति के संबंध में विरोधाभासी हैं; न तो उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने टैंकर को मृत व्यक्तियों का पीछा करते हुए देखा था और न ही यह कहा है कि ट्रक अभियुक्त पवन द्वारा चलाया जा रहा था महत्वपूर्ण गवाह खेमराम, जिसने अभियुक्त कामता को "आज साले लोगों को मारना है बचना नहीं चाहिए" कहते सुना था, का परिक्षण नहीं कराया गया अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि पहली बार, मृत व्यक्ति अपनी स्कूटर पर निकले थे और उसके बाद प्रश्नगत टैंकर, जिसे पवन और अन्य चला रहे थे, ने उनका पीछा किया था न ही यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति धमधा बाजार में एक साथ खड़े थे और अभयराम और मुकुटधर की गतिविधियों को देख रहे थे यहां तक कि जिस व्यक्ति ने टैंकर, अर्थात सुजुकी चालक द्वारा मृत व्यक्तियों को कुचलने की घटना देखी थी और जिसने बाजार में सूचना दी थी, उसका भी परिक्षण नहीं कराया गया है ताकि अभयराम और मुकुटधर की हत्या करने के उद्देश्य से टैंकर ने जानबूझकर गलत दिशा में जा रही स्कूटर को टक्कर मारी हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. अतः, अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत किए गए अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है यह सिद्ध करने के लिए भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त पवन उर्फ नागराज प्रश्नगत टैंकर को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ढंग से चला रहा था, और उसने मृत व्यक्तियों की स्कूटर को टक्कर मारी थी ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त पवन उर्फ नागराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–क के तहत दोषी ठहराना भी मुश्किल है,

क्योंकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि टक्कर मारते समय प्रश्नगत टैंकर अभियुक्त पवन द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाया जा रहा था।

44. उपरोक्त कारणों से, हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं पर अधिरोपित दोषसिद्धि और परिणामी दंड को कायम नहीं रखा जा सकता।

45. परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलें, यथा, कामता प्रसाद लोधी, अश्विनी कुमार और गणेश द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 327/2001; पवन कुमार उर्फ नागराज साहू द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 361/2001; और दिलीप बाथू, अशोक और राजू राजेश राज कुमार द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 362/2001, सफल होती हैं और उन्हें स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 302 सहपठित धारा 34 और धारा 120–ख के तहत उन पर अधिरोपित दोषसिद्धि और परिणामी दंड अपास्त कि जाती हैं। उन्हें उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्ति किया जाता है। अभियुक्त पवन कुमार उर्फ नागराज साहू 1999 से जेल में है यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाये। अन्य व्यक्ति जमानत पर हैं उनके बंधपत्र उन्मोचित किये जाते है और उन्हें अपने बंधपत्र के अनुसरण में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/–

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

हस्ताक्षर/–

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

transtated by– priti rout

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur